फर्द अहकाम नियम 26

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

रूप सिंह

अन्तर्गत धाराः– 251(क) आर.टी.

नम्बरः– 64 / 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.11.04 12:44:40 IST
Reason: SelfAttested

चकः– 22 एलएनपी

ख	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.06.2022 को पेश हो।	763 N.I
	30-5-22 प्रार्थीगण द्वारा जरिए वकील स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के साथ समझौता हो चुका है अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते। प्रकरण को खारिज किया जावे। प्रार्थीगण के निवेदन एवं प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रकरण को सही तौर पर खारिज किया जाता है पत्रावली दफ्तरात (ले) कर होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।	प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहता। रूपसिंह गुरपाल सिंह Both Dby (Ashok Kumar Dhir)

(मनोज कुमार)
मीना
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)